राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–95 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री अरविन्द प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत पदनामित प्रयोग प्रदर्शक, एस॰के॰ आर॰ कॉलेज, बरबीघा, वर्त्तमान निवास–निचली किला, गढ़पर आयार्या स्कूल के बगल में बिहारशरीफ, नालंदा–803101

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
20.02.2023	श्री अरविन्द प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत पदनामित प्रयोग प्रदर्शक, एस॰के॰ आर॰ कॉलेज, बरबीघा, वर्त्तमान निवास–निचली किला, गढ़पर आयार्या स्कूल के बगल में बिहारशरीफ, नालंदा–803101 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–15.02.2023 इस कार्यालय में दिनांक–20.02.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जबकि अपील आवेदन में शुल्क संलग्न करने की बात अंकित की है। अपीलकर्त्ता श्री अरविन्द प्रसाद सिन्हा ने अपने अपील आवेदन में यह अंकित नहीं किया है कि उनके द्वारा किस तिथि को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु आवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि लोक सूचना पदाधिकारी ने राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–05 दिनांक–05.01.2023 के माध्यम से मुंगेर विश्वविद्याल को हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः नियम के अनुसार प्रथम अपील मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' की प्रति भी संलग्न नहीं किया है। इसके अतिरिक्त बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा दायर प्रथम अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सभी संबंधित को सूचित करें। **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	